न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 145/2019 (Bank Case)

बैंक ऑफ बडोदा शाखा श्रीनाथपुरम, कोटा राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती अनीसा बानो पत्नी श्री निजामुद्दीन (ऋणी/बंधककर्ता)
   पता– 19ए , लाजपत नगर प्रथम, बोरखेडा, जिला कोटा, राजस्थान
2. श्री अजहरूद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दी
   पता– 19ए , लाजपत नगर प्रथम, बोरखेडा, जिला कोटा, राजस्थान
3. श्री राहुल जैन पुत्र श्री गंगाराम जैन (जमानती)
   पता– मकान नं0 304, केशवपुरा, सेक्टर–6, दादाबाडी, कोटा, जिला कोटा, राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनर्फोसमेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 एतद् पश्चात् "एक्ट" से सम्बोधित किया गया हैं, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत्।

उपस्थितः–

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा– 04 व 05, प्रथम तल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा–324005, राजस्थान में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.04.2018 को रूपये 32,00,000/– (अक्षरेः रूपये बत्तीस लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्रीमती अनीसा बानो पत्नी श्री निजामुद्दीन की प्लॉट नं0. 11, सूर्य नगर, रामचन्द्रपुरा, कोटा, राजस्थान (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट) जिसका पट्टा नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/1147 दिनांक 10.11.2017 से जारीसुदा है जिसका जो उप पंजीयक प्रथम कोटा द्वारा रजिस्टर्ड है ।** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.07.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे 32,73,702/–(अक्षरे बत्तीस लाख तेहत्तर हजार सात सौ दो रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.07.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंध **अचल सम्पत्ति श्रीमती अनीसा बानो पत्नी श्री निजामुद्दीन की प्लॉट नं0. 11, सूर्य नगर, रामचन्द्रपुरा, कोटा, राजस्थान (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट) जिसका पट्टा नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/1147 दिनांक 10.11.2017 से जारीसुदा है जिसका जो उप पंजीयक प्रथम कोटा द्वारा रजिस्टर्ड है ।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner